(6)

जोननि कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

क्रमाक :– अग्नि/13/JFS/ 2018.19 / 155 दिनांक 15/6/18

मैसर्स श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान
ई – सेक्टर प्रताप नगर
जोधपुर।

विषय : मैसर्स श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान ई – सेक्टर प्रताप नगर जोधपुर को अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2017–18 म. शि. स. /3147 दिनांक 22/3/2018 के कम में।

मान्यवर,

आपके प्रासंगिक पत्रानुसार मैसर्स श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान ई – सेक्टर प्रताप नगर जोधपुर के भवन व परिसर का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पाई गई। संस्थान को स्थाई अग्नि शमन अनापति प्रमाण–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के सभी बिंदुओं की सख्ती से पालना करने के लिए पाबंद करते हुए निम्न शर्तों के साथ जारी की जाती है। एक वर्ष बाद फायर अनापति को पुनः नवीनीकरण करवाना होगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था पाई जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर , हाईड्रेडट, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पम्पिंग यूनिट को हर समय चालू हालत में रखा जावे।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय पाई जावे।
5. विद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के अनुसार विधालय प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कि जावे।
6. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों की टेस्टिंग की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, हाईड्रेट का समय पर रख–रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जावे।
7. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जावे।
8. भवन में पयोग होने वाले एलपीजी बैंक पर एलपीजी लीकेज सेंसर उपलब्ध किया जावे।
9. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावे।
10. उपरोक्त अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाने एवं शपथ पत्र की पालना सुनिश्चित करने पर एक वर्ष हेतु अग्निशमन अनापति का नवीनीकरण किया जाता है।
11. उक्त अग्निशन अनापति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
12. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।

Sd/-

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर।